

# Order Sheet [Contd]

Case No 276/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
31.07.2017	<p>आवेदिका श्रीमती मीराबाई की ओर से अधिवक्ता श्री ए0के0 श्रीवास्तव। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप0क्र0 84/17 धारा 498ए भा.द.वि एवं धारा 3/7 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदिका श्रीमती मीराबाई की ओर से अधिवक्ता श्री ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 का होना व्यक्त करते हुए प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 28.07.17 को वल न देने के आधार पर निरस्त होना व्यक्त किया है।</p> <p>आवेदिका की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदिका अपने पति के साथ कई वर्षों से भुज (गुजरात) में निवास कर रही है। फरियादिया जो कि उसकी पुत्रबधु है शादी के समय से ही उसके परिवार को हैरान परेशान कर रही है और यह झूठा अपराध लगा दिया है। फरियादिया द्वारा धारा 125 जा0फौ0 का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें राजीनामा हो गया है। आवेदिका अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगी। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदिका अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदिका फरियादिया की सास है और वह अपने पुत्र के साथ निवास नहीं करती है, बल्कि पुत्र से पृथक भुज(गुजरात) में निवास करती है और आवेदिका के विरुद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है।</p> <p>फरियादिया द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में इस आशय के आरोप लगाए गए हैं कि उसके पिता ने पर्याप्त दहेज दिया था, किन्तु उसके पश्चात् भी पति रविशंकर, सास मीरा, ससुर हाकिमसिंह, देवर सोनू कम दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और कहते थे कि एक लाख रूपए लेकर आओ।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त ने फरियादिया के प्रति विशिष्ट क्रूरता का कृत्य किया हो ऐसा फरियादिया ने आरोपी नहीं लगाया है। आवेदिका/अभियुक्त महिला है जिसका फरियादिया के पति से पृथक निवास करने का आधार लिया गया है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं माननीय सर्वाच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत <b>अरनेश कुमार वि0 विहार राज्य 2014(4) एम.पी.एच.टी. 81 एस.सी.</b> में दिए गए निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।</p> <p>अतः आवेदिका मीरा बाई की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि उसे थाना गोहद चौराहा के</p>	

अपराध क्रमांक 84/17 धारा 498ए, 34 भा.द.वि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी संतुष्टि योग्य 30,000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न आशय का पेश हो तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

**शर्त:-**

1. आवेदिका अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगी।
  2. विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगी।
  3. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी।
- आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।  
प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
ए0एस0जे0 गोहद